

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/12/2021

जीसीएमएस नं0 2021/13

प्रवेश तिथि 19.01.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्रीमती सपना देवी पत्नी श्री भागीरथ यादव, निवासी ग्राम-पोस्ट कारोड़ा, बहरोड़, तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0-301020		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
निर्णय

दिनांक: 17.03.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 09.12.2020 पर प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया द्वारा दिनांक 12.11.2020 को उप पंजीयक कार्यालय बहरोड़ द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के स्थगन आदेशों के बाद भी बयनामा तस्दीक करने पर कार्यवाही करने बाबत लिखा गया, पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।
4. आवेदक के को उपरोक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक: 09.12.2020 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 14.01.2021 (कार्यालय को प्राप्त दि0 18. 01.2021) के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए. डी.एम.प्रथम/— आर.टी.आई.अपील/2021/51-52 दिनांक: 19.01.2021 के माध्यम तलब कर दिनांक: 27.01.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। पुनः न्यायालय द्वारा स्मरण-नोटिस पत्रांक कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/2021/108-109 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से जवाब तलब किया गया। बार-बार नोटिस के बावजूद भी प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यर्थी उप0 नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया तथा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा-

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)

P.T-0.

(2)

वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ज में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।

7. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 09.12.2020 में वांछित सूचना, उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को बिन्दूवार उपलब्ध कराई जावे।
8. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयवधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, सुनिश्चित करें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित ।



अपीलीय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)